इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 फरवरी 2023—माघ 19, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2023

क्र. एफ-बी-1-68-2021-2-पांच, (02).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा घोषणा करता है कि अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विवरण की मदिरा क्रमशः ''विदेशी मदिरा'', ''हेरिटेज मदिरा'' और ''देशी मदिरा'' समझी जाएंगी :—

(1) **विदेशी मदिरा.**—किसी किस्म की मानवीय उपभोग के उपयुक्त मदिरा, हेरिटेज मदिरा व देशी मदिरा को छोड़कर,

(एक) जो समुद्र, थल या जल द्वारा भारत के किसी राज्य में आयातित की गई हो तथा जो आयातित होने की दशा में, भारतीय टेरिफ एक्ट, 1894 या सी-कस्टम एक्ट, 1874 के अधीन ड्यूटी योग्य हो, या

(दो) जो भारत में विनिर्मित (Manufactured) या तैयार (Compounded) और जिसमें रंग या खुशबू, उपरोक्त आयातित मदिरा के जैसे हों, वे विदेशी मदिरा मानी जाएगी;

(2) **हेरिटेज मदिरा.**—हेरिटेज मदिरा विनिर्माण इकाई में उत्पादित ऐसा अल्कोहलिक महुआ मदिरा पेय जो राज्य शासन द्वारा बनाए जाने वाले हेरिटेज मदिरा नियमों में परिभाषित हो—

(एक) जिसका क्षारक (बेस) राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले हेरिटेज मदिरा नियमों के अंतर्गत परिभाषित केवल महुआ फूलों से तैयार हेरिटेज स्पिरिट हो, एवं

(दो) जिसमें मानव उपभोग के लिए उपयुक्त प्राकृतिक योजक हो सकेंगे परन्तु, पॉट स्टिल विनिर्मित स्पिरिट हेतु एफ.एस.एस.ए.आई विनियमन, 2018 के अंतर्गत अनुमत को छोड़कर, कोई सिंथेटिक या कृत्रिम योजक या कृत्रिम रंजक नहीं होंगे, एवं

(तीन) जो कि आबकारी आयुक्त द्वारा हेरिटेज मदिरा के लिए निर्धारित तीव्रता, मानक एवं विशिष्टताओं के अनुरुप होंगे, एवं

(चार) जो कि पॉट स्टिल मदिरा हेतु अधिसूचित खाद्य संरक्षा और मानक (मादक पेय) विनियम, 2018 के अनुरूप होंगे.

(3) देशी मदिरा.—(एक) विदेशी मदिरा एवं हेरिटेज मदिरा से भिन्न पीने योग्य मदिरा.

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 54-अ-पांच-एस.आर., दिनांक 4 जुलाई 1959 के अनुच्छेद 1 के भाग-अ के खण्ड (2) का लोप किया जाए.

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2023

क्र. बी-1-68-2021-2-पांच, (02).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-68-2021-2-पांच, (02), दिनांक 8 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th February 2023

No. F-B-1-68-2021-2-V (02).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby declares that liquors of the following descriptions shall be deemed to be "Foreign Liquor", "Heritage Liquor" and "Country Liquor" respectively for the purpose of the Act—

(1) Foreign Liquor.—Potable liquor, other than Heritage liquor and Country liquor,

(i) Which is imported by sea, land or air into any State of India and is liable on importation to a duty under the Indian Tariff Act, 1984, or the Sea Customs Act, 1878, or

(ii) Which is manufactured or compounded in India and made in Color or flavor to resemble liquor imported as aforesaid.

(2) Heritage Liquor.—such potable alcoholic Mahua liquor manufactured by a Heritage liquor manufacturing unit as defined in the Heritage Liquor Rules, to be made by the State Government—

(i) Which has as its base, Heritage spirit made from Mahua flowers only, as defined in the Heritage Liquor Rules, to be made by the State Government, and

(ii) Which may contain natural additives suitable for human consumption but shall not contain any synthetic or artificial additives or artificial colour except that allowed for Pot stilled Distilled spirit by the FSSAI Regulations, 2018, and

(iii) Which is of such strength standards and specifications, as determined by the Excise Commissioner for Heritage Liquor, and

(iv) Which complies with the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018 notified for Pot Still Liquor,

(3) Country Liquor.—Potable Liquor, other than Foreign Liquor and Heritage Liquor.

(4) Clause II of Part-A of Section I of this department's Notification No. 54-A/V-S. R., dated 4th July 1959 shall be omitted.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.